



PBR/विवरानी/भौपल/भू-८१/२०१७/२५३६

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, भोपाल, म0प्र0।

पुनरीक्षण प्रकरण क्र...../17

(16)

श्री चंद्रशेखर कृष्णनारायण पाराशार आत्मज स्व0 श्री मूलचन्द्र पाराशार, आयु-वयस्क,
निवासी-गुरुद्वारा, डी-27, बी0डी0ए0 कॉलोनी, कोह-ए-फिजा, भोपाल। आवेदक
क श्री...../ग्रामपाली
ता दिनांक...../...../.....

अधीक्षक

विरुद्ध

मयक अग्रवाल आत्मज श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, आयु वयस्क,
निवासी- ई-6, एम0आई0जी0 110, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। अनावेदक
/17-91

प्र, पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

१ महोदय,

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना प्रशासन टी.टी. नगर
वृत भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक
12-05-2017, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को बिना सूचना दिये मनमाने
तरीके से सीमांकन कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेख किया है, से दुःखी होकर अपीलार्थी निम्न
क्रूथों एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है-

ठाकुर
1659
2014
न भोपाल

[Signature]

पी न ही तर

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2536

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
३०-११-२०१७	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपरिथित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदक अथवा उनके अभिभाषक उपरिथित नहीं हुए। अतः आवेदक की अनुपरिथिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>